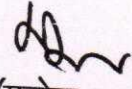


राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

विषय:- राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल याचिका (पी.आई.एल) संख्या 10522/2015, डी.बी.सिविल याचिका (पी.आई.एल) संख्या 10528/2015 सूओ मोटा बनाम राजस्थान राज्य द्वारा मुख्य सचिव ।
संदर्भ:- आपका अशा.टीप क्रमांक प.1(5)मं.मं./2015पार्ट-1 दिनांक 06.01.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में विभाग के अधीन नगर विकास न्यासों/विकास प्राधिकरणों में नियुक्त किये गये अध्यक्षों की सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार


(मुकेश शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

मुख्य सचिव,
राजस्थान।

अशा.टीप क्रमांक प.5(29)नविवि/11/2015
जयपुर दिनांक **9 JAN 2017**

नगरीय विकास विभाग के अधीन नगर विकास न्यासों/विकास प्राधिकरणों में
वर्तमान में मनोनित अध्यक्षों की सूची निम्न प्रकार है:-

क.सं.	न्यास/प्राधिकरण का नाम	मनोनित अध्यक्ष का नाम	मनोनित किये जाने के विभागीय आदेश दिनांक
1.	जोधपुर विकास प्राधिकरण	श्री महेन्द्र सिंह राठौड़	06.07.2016
2.	अजमेर विकास प्राधिकरण	श्री शिवशंकर ठेड़ा	18.01.2016
3.	नगर सुधार न्यास, अलवर	श्री देवी सिंह शंखावत	18.01.2016
4.	नगर सुधार न्यास, जैसलमेर	डा. जितेन्द्र सिंह	18.01.2016
5.	नगर सुधार न्यास, सवाई माधोपुर	श्री जगदीश अग्रवाल	18.01.2016
6.	नगर सुधार न्यास, बाडमेर	श्रीमती प्रियंका चौधरी	18.01.2016
7.	नगर सुधार न्यास, कोटा	श्री रामकुमार मेहता	06.07.2016
8.	नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर	श्री संजय महिपाल	06.07.2016
9.	नगर सुधार न्यास, आबू	श्री सुरेश कोठारी	06.07.2016
10.	नगर सुधार न्यास, पाली	श्री संजय ओझा	06.07.2016
11.	नगर सुधार न्यास, चित्तौड़गढ़	श्री निर्मल काबरा	06.07.2016
12.	नगर सुधार न्यास, उदयपुर	श्री रविन्द्र श्रीमाली	17.11.2016
13.	नगर सुधार न्यास, बीकानेर	श्री महावीर रांढा	17.11.2016
14.	नगर सुधार न्यास, भीलवाड़ा	श्री गोपाल लाल शर्मा (खण्डेलवाल)	04.12.2016
15.	नगर सुधार न्यास, सीकर	श्री हरीराम रिणवा	04.12.2016
16.	नगर सुधार न्यास, भरतपुर	—	—
17.	नगर सुधार न्यास, भिवाड़ी	—	—

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(32)नविवि/11/84/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 18.01.2016

अधिसूचना

अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 4(1)(i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा लोकहित में श्री शिवशंकर हेडा को तीन वर्ष की अवधि के लिये अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, इनका कार्यकाल कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मूथा)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/बीकानेर।
8. अध्यक्ष/आयुक्त/सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर, अजमेर।
10. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू/बीकानेर/भीलवाडा/जैसलमेर/कोटा/श्रीगंगानगर/उदयपुर/भरतपुर/भिवाडी/सवाईमाधोपुर/सीकर/बाडमेर/पाली/चित्तौड़गढ़।
11. संबंधित अध्यक्ष श्री शिवशंकर हेडा।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का श्रम करे।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

18/1/16

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(32)नवि/॥/84/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 18.01.2016

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या-35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार लोकहित में निम्नांकित न्यासों में उनके सम्मुख अंकित व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करती है, इनका कार्यकाल कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा :-

क्र. सं.	नगर सुधार न्यास का नाम	व्यक्ति जिसकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की गयी है
1.	नगर सुधार न्यास, अलवर	श्री देवी सिंह शेखावत
2.	नगर सुधार न्यास, जैसलमेर	डॉ जीतेन्द्र सिंह
3.	नगर सुधार न्यास, सवाई माधोपुर	श्री जगदीश अग्रवाल
4.	नगर सुधार न्यास, बाडमेर	श्रीमती प्रियन्का चौधरी
5.	नगर सुधार न्यास, चित्तौडगढ़	श्री श्रीचन्द कृपलानी

राज्यपाल की आज्ञा से,

(चन्द्रशेखर मूथा)

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/बीकानेर।
8. अध्यक्ष/आयुक्त/सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर, अलवर/जैसलमेर/सवाई माधोपुर/बाडमेर एवं चित्तौडगढ़।
10. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू/बीकानेर/भीलवाडा/जैसलमेर/कोटा/श्रीगंगानगर/उदयपुर/भरतपुर/भिवाडी/सवाई माधोपुर/सीकर/बाडमेर/पाली/चित्तौडगढ़।
11. संबंधित अध्यक्ष श्री।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का श्रम करे।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

18/1/16

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.1(32)-नविवि/II/84/पाट

जयपुर, दिनांक : 06.07.2016

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या-35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार लोकहित में निम्नांकित नगर विकास न्यासों में उनके सम्मुख अंकित व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करती है, इनका कार्यकाल कार्यभारण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

क्र. सं.	नगर सुधार न्यास का नाम	व्यक्ति जिसकी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की जाती है
1.	नगर सुधार न्यास, कोटा	श्री रामकुमार कल्ला
2.	नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर	श्री संजय महीपाल
3.	नगर सुधार न्यास, आबू (सिरोही)	श्री सुरेश कोठारी
4.	नगर सुधार न्यास, पाली	श्री संजय ओझा

राज्यपाल की आज्ञा से

(हस्ताक्षर)
(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, न्याय एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. सभागीय आयुक्त, अजमेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/दीवानेर।
8. अध्यक्ष/आयुक्त/सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर, कोटा/श्रीगंगानगर/सिरोही/पाली।
10. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू/बीकानेर/भीलवाड़ा/जैसलमेर/कोटा/श्रीगंगानगर/उदयपुर/भरतपुर/भिवाडी/सवाईमाधोपुर/सीकर/बाडमेर/पाली/चित्तौड़गढ़।
11. संबंधित अध्यक्ष श्री।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित कराने का प्रयास करें।

(हस्ताक्षर)
06/7/16

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(32)नगरीय/II/84/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 06.07.2016

अधिसूचना

जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009 की धारा 4(1)(i) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा लोकहित में डॉ. महेन्द्र सिंह राठौड़ को तीन वर्ष की अवधि के लिये जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, इनका कार्यकाल कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(राजेंद्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/बीकानेर।
8. अध्यक्ष/आयुक्त/सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर, जोधपुर।
10. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू/बीकानेर/भीलवाड़ा/जैसलमेर/कोटा/श्रीगंगानगर/उदयपुर/भरतपुर/भिवाड़ी/रावाईमाधोपुर/सांकर/वाडमेर/पाली/चित्तौड़गढ़।
11. संबंधित अध्यक्ष डॉ. महेन्द्र सिंह राठौड़, जोधपुर, राजस्थान।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का श्रम करे।

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

6/0

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.1(32)नविवि/II/84/पार्ट

जयपुर, दिनांक : 06.07.2016

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.01.2016 के द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या-35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार द्वारा लोकहित में नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ में श्री श्रीचन्द कृपलानी को अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया गया था।

श्री कृपलानी की नियुक्ति के आदेशों के अतिरिक्त में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या-35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार लोकहित में श्री निर्मल काबरा को नगर विकास न्यास, चित्तौड़गढ़ में अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त करती है, इनका कार्यकाल कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

06/7/16
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/बीकानेर।
8. अध्यक्ष/आयुक्त/सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़।
10. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू/बीकानेर/भीलवाड़ा/जैसलमेर/कोटा/श्रीगंगानगर/उदयपुर/भरतपुर/भिवानी/सवाईमाधोपुर/सीकर/बाड़मेर/पाली/चित्तौड़गढ़।
11. संबंधित अध्यक्ष श्री निर्मल काबरा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
12. श्री श्रीचन्द कृपलानी, निम्बाहेडा, चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
13. अध्यक्ष, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंसाधारण अंक में प्रकाशित कराने का श्रम करें।

06/7/16
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.1(32)नवि/II/84/पार्ट

जयपुर, दिनांक :

अधिसूचना

17 NOV 2016

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या-35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार लोकहित में निम्नांकित न्यासों में उनके सम्मुख अंकित व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिये मनोनयन करती है, इनका कार्यकाल कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा :-

क्र.सं.	नगर सुधार न्यास का नाम	व्यक्ति जिसका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया गया है
1.	नगर सुधार न्यास, उदयपुर	श्री रविन्द्र श्रीमाली
2.	नगर सुधार न्यास, बीकानेर	श्री महावीर रांका

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अर्जुन राम चौधरी)
17/11/16

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/बीकानेर।
8. अध्यक्ष/आयुक्त/सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर, उदयपुर/बीकानेर।
10. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/श्रीगंगानगर/उदयपुर/सवाईमाधोपुर/बाडमेर/पाली/चित्तौड़गढ़।
11. संबंधित अध्यक्ष श्री।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का श्रम करे।

(अर्जुन राम चौधरी)
17/11/16
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.1(32)नविवि/II/84/पार्ट

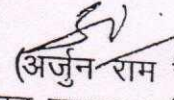
जयपुर, दिनांक : 24 DEC 2016

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या-35) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार लोकहित में निम्नांकित न्यासों में उनके सम्मुख अंकित व्यक्तियों को अध्यक्ष के रूप में मनोनीत करती है, इनका कार्यकाल कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष का होगा :-

क्र.स.	नगर सुधार न्यास का नाम	व्यक्ति जिसका अध्यक्ष के रूप में मनोनयन किया गया है
1.	नगर सुधार न्यास, भीलवाडा	श्री गोपाल लाल शर्मा (खण्डेलवाल) पुत्र श्री प्रभुलाल शर्मा
2.	नगर सुधार न्यास, सीकर	श्री हरीराम रिणवा

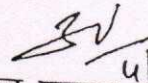
राज्यपाल की आज्ञा से,


(अर्जुन राम चौधरी)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
7. संभागीय आयुक्त, अजमेर/जोधपुर/जयपुर/कोटा/भरतपुर/उदयपुर/बीकानेर।
8. अध्यक्ष/आयुक्त/सचिव, अजमेर/जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, अजमेर/जयपुर/जोधपुर।
9. जिला कलेक्टर, भीलवाडा/सीकर।
10. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/आबू/बीकानेर/जैसलमेर/कोटा/श्रीगंगानगर/उदयपुर/सवाईमाधोपुर/बाडमेर/पाली/चित्तौड़गढ़/भीलवाडा/सीकर।
11. संबंधित अध्यक्ष श्री।
12. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशित कराने का श्रम करे।


4/12/16
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

'(18) 'regulation' means a regulation made by the Authority under this Act;

(19) 'rule' means a rule made by the Government under this Act;

(20) 'Tribunal' means Tribunal constituted under the provisions of this Act;

(21) 'Zone' means any of the division in which Jaipur Region may be divided for the purposes of development under this Act;

(22) words and expressions used in this Act, but not defined herein, shall have the same meanings as assigned to them in the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act No. 35 of 1959) and the Rajasthan Municipalities Act, 1959 (Rajasthan Act No. 38 of 1959).

CHAPTER-II

Establishment and Constitution of the Authority

3. Establishment of the Jaipur Development Authority-(1) As soon as may be, after the commencement of this Act, the Government shall, by notification in the Official Gazette, establish for the purposes of this Act, an Authority to be called 'the Jaipur Development Authority' (hereinafter referred to as 'the Authority').

(2) The Authority shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and may sue or be sued by its corporate name aforesaid.

(3) The Authority shall be deemed to be a local authority within the meaning of the term 'local authority' as defined in the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Rajasthan Act No. 8 of 1955).

4. Composition of the Jaipur Development Authority.-

(1) The Authority shall consist of the following members, namely-

- (i) a Chairman, who shall be the Minister-in-charge of Urban Development of the State of Rajasthan or a nominee of the Governor during President's Rule;
- (ii) a Vice-Chairman, who shall be State Minister of Urban Development of the State of Rajasthan, or a nominee of the Governor during President's Rules;
- (iii) Secretary to the Government, Urban Development and Housing Department;

1. Substituted vide Act No. 15 of 1989 w.e.f. 18-7-1988.

(iv) Jaipur Development Commissioner (appointed under this Act);

(v) Chairman, Rajasthan Housing Board;

(vi) Chief Engineer, Public Health Engineering Department;

(vii) Chief Engineer, Public Works Department;

(viii) District Collector Jaipur;

(ix) Chief Engineer, Rajasthan State Electricity Board;

(x) Chairman/Administrator, Municipal Council, Jaipur;

(xi) Zila Pramukh of Zila Parishad, Jaipur District;

(xii) Chief Town Planner Rajasthan; and

(xiii) Non-official members, not exceeding seven to be nominated by the State Government.]

(2) Besides the members referred to in sub-section (1) the State Government, if it so thinks fit, may also appoint the Chairman of any Functional Board as member of the Authority.

(3) The Chairman of the Authority shall supervise and control all the activities on behalf of the Authority and shall exercise such powers and perform such duties as are conferred on him under this Act and exercise such other powers and perform such other duties as the Authority may, by regulations, from time to time determine. [He may also modify, subject to confirmation by the Authority, in its next meeting, the decisions of officers of authority and committees constituted under the provisions of this Act.]

(4) The Vice-Chairman shall exercise such powers and perform such duties as the Chairman of the Authority may, by order, delegate to him and shall, during the absence of the Chairman, perform the functions and exercise the powers of the Chairman.

(5) The members shall receive such allowances for meeting the personal expenditure in attending the meetings of the Authority or any committee or body thereof or in performing any other functions as members, as may be prescribed.

(6) Where a person becomes or is nominated as a member of the Authority by virtue of holding any office or being a member of the Parliament or State Legislature or any local authority or any other authority, Corporation, Council, Board or body, whether incorporated or not, he shall cease to be a member of the Authority as soon as he ceases to be holder of that office or such member as the case may be.

(7) A member of the Authority, other than ex officio members, may, at any time by writing under his hand addressed to the Chairman, resign his office but shall continue as member until his resignation is accepted by the Chairman.

(8) The term of the non-official members of the Authority nominated under [clause (xiii)] of sub-section (1) shall be for a period of [two years];

1. Inserted vide Act No. 6 of 2001 w.e.f. 26.5.2001.

2. Substituted vide Act No. 15 of 1989 w.e.f. 18.7.1988.

Provided that in the event of the office of any aforesaid member becoming vacant by reason of death, removal, resignation or otherwise, the vacancy shall be filled up by fresh nomination according to the provisions of [clause (xiii)] of sub section (1).

(9) No act or proceeding of the Authority, or of any board, committee or other body thereof shall be deemed to be invalid at any time merely on the ground that any of the members of the Authority or such body are not nominated, appointed or for any other reason are not available to take office at the time of the constitution or any meeting of the Authority, or such body or any person is a member in more than one capacity or there are one or more vacancies in the offices of any members of the Authority or such body.

5. Meetings of the Authority-(1) The Authority shall meet atleast once in six months at such place and at such time as the Chairman may decide, and shall, subject to the provisions of section 6 observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meeting (including the quorum thereat) as may be laid down by regulations.

(2) The Chairman or in his absence, the Vice-Chairman shall preside at every meeting of the Authority. If for any reason both the Chairman and the Vice-Chairman are unable to attend any meeting, any other member of the Authority, elected by the members thereof, present at the meeting, shall preside.

6. Cessation of membership-(1) A member of the Authority, who has acquired, directly or indirectly any share or pecuniary or other interest in any contract, loan, arrangement or proposal entered into, or proposed to be entered into by or on behalf of the Authority shall cease to be a member of the Authority.

Provided that, a member shall not be deemed to have any such share or interest, by reason only of his being a share holder of a public limited company/concern in any such contract, loan, arrangement or proposal or that he himself or any relation of his, is employed by or on behalf of the Authority or he has such share or interest in his capacity as a member of the Authority, or his property, or any property in which he has a share or interest, is or is being acquired or taken on lease by or on behalf of the Authority by agreement or according to any law for the time being in force.

(2) If any question arises whether a member of the Authority has become subject to the dis-qualifications mentioned in sub-section (1), the question shall be referred for the decision of the State Government and its decision shall be final.

1. Substituted vide Act No. 15 of 1989 w.e.f. 18-7-1988.

7. Constitution and powers of Executive Committee-(1) There shall be an Executive Committee of the Authority consisting of the following members, namely-

- (i) a Chairman, who shall be the Jaipur Development Commissioner;
- (ii) Secretary, Urban Development and Housing or his representative not below the rank of Deputy Secretary;
- (iii) Secretary, Jaipur Development Authority (who shall be the member-Secretary of the Committee);
- (iv) Chief Engineer, Public Works Department, Rajasthan;
- (v) Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Rajasthan;
- (vi) Representative of the Rajasthan State Electricity Board not below the rank of a Chief Engineer;
- (vii) Managing Director, Rajasthan State Industrial and Investment Corporation Limited;
- (viii) General Manager, Rajasthan State Road Transport Corporation;
- (ix) Managing Director, Rajasthan Tourism Development Corporation;
- (x) Director, Engineering of the Authority;
- (xi) Director, Town Planning of the Authority;
- (xii) Director, Finance of the Authority;
- 1[(xii-a) Director, Law of the Authority;]
- (xiii) Collector, Jaipur;
- (xiv) Superintendent of Police, Jaipur;
- (xv) The Commissioner, Municipal Council, Jaipur.

Provided that where an Administrator has been appointed of the Municipality of Jaipur, he shall be the member.

(2) The Executive Committee shall exercise the following powers and perform the following duties, namely:

- (i) organisation of the divisions and operational units of the Authority;
- (ii) Preparation of drafts of regulations and recommending to the Authority for making them;
- (iii) operation of the Jaipur Region Development Fund;
- (iv) preparation of projects and schemes;
- (v) approval or rejection of tenders for projects and schemes;
- (vi) creation of posts under the Authority upto such level as may be determined by regulations;
- (vii) borrowing and reborrowing of money required by the Authority;

1. Inserted vide Act No. 6 of 2001 w.e.f. 26.5.2001.